कार्यालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरपुर

पत्रांक/ऑडिट- **MZ2026A19002**

दिनांक- **27/10/2026**

☏ **+91 9031856924**

✉ **dfo-fire-muz@gov.in**

सेवा में,

ORION PUBLIC SCHOOL / ORION PUBLIC SCHOOL,
AKURAHAN KHARGI, KANTI, MUZAFFARPUR-843109 / AKURAHAN KHARGI, KANTI, MUZAFFARPUR-843109, Muzaffarpur, 843108
Email id: orionpublicschool2012@gmail.com, Mob No.: 8521956979

विषयः- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक **09/09/2026** को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी **मोतीपुर** द्वारा दिनांक **26/09/2026** को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे है।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की होगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त संस्थान के प्रमाण-पत्र की वैध तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

प्रतिलिपिः-

01. निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, **मोतीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Digitally signed by PRAGYA SHARAN
Date: 2026.10.27 19:19:10 +05:30

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर